न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/55

प्रकरण संख्या 27/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री कमलेश कुमार साहु बनाम तहसीलदार कानोड़

निर्णय **दिनांक : 22.09.2022**

1. प्रार्थी श्री कमलेश कुमार पिता श्री भगवान लाल साहु निवासी भीण्डर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम आकोला, पटवार मण्डल आकोला तहसील कानोड़ में प्रार्थी खाते की नकल लेने हेतु पटवार मण्डल गया तो मुझे मालूम हुआ कि सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी कि भूमि को कुछ हिस्सा रेकर्ड में बिलानाम दर्ज कर लिया गया है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम की खातेदारी भूमि को जो सेटलमेन्ट के द्वारा बिलानाम दर्ज की गई है उसे पुनः प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है जिसमें ग्राम आकोला, पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड के राजस्व अभिलेखो में

क्र.स.	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगानी	खेवट	जमाबन्दी
1	10/1	2–10 बीघा	एस तृतीय	3 : 94	182	2051–54
2	22/1	10–15 बीघा	एस तृतीय	4 : 06	182	2051–54
3.	23/1	7–0 बीघा	एस तृतीय	2 : 62	187	2051–54
4.	22	6–4 बीघा	एस तृतीय	2 : 38	292	2051–54

अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि में से जो भूमि बिलानाम दर्ज, सेटलमेन्ट द्वारा गलती से हो गई है उसे पुन प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार कानोड़ से विस्तृत जॉच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार कानोड़ द्वारा [illegible] को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें प्रस्तावित नक्शा सु–स्पष्ट नहीं होने के कारण पुनः लिखा गया जिसके बाद तहसीलदार कानोड़ द्वारा आदेश क्रमांक : भू.अ./2022/847 दिनांक 30.08.2022 को रिपोर्ट पेश की गई जो निम्नानुसार है।

उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा जॉच कर जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रार्थी की बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रेकर्ड में मौजा आकोला, पटवार हल्का

आकोला की जमाबन्दी संवत् 2051–54 में खाता संख्या 182 पर साबिक आराजी संख्या 10/1 रकबा 10–10 बीघा ,आराजी संख्या 22/1 रकबा 10–15 बीघा कुल किता 2 रकबा 21–05 बीघा यानि 4.5900 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 187 पर आराजी संख्या 23/1 रकबा 7–00 बीघा यानि 1.5100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 300 के आराजी संख्या 22 रकबा 6–04 बीघा यानि 1.3400 हैक्टेयर भूमि (उपरोक्त तीनो खातो की कुल भूमि 34–09 बीघा यानि 7.4400 हेक्टेयर भूमि) खातेदार कमलेशकुमार पिता भगवानलाल साहु तेली सा. भीण्डर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी।

II. उक्त भूमि भू–प्रबन्धन के बाद साबिक आराजी संख्या 22/1, 10/1, 23/1 एवं 22 के हाल नये आराजी संख्या 42, 43, 45, 10, 46, 3469/91, 88, 86, 3484/86 आदि बने है। नवीन राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 पर आराजी संख्या 3469/91 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 22 पर आराजी संख्या 3484/86 रकबा 1.0000 हैक्टेयर भूमि उपरोक्तानुसार खातेदार के नाम दर्ज हुई जिसमें आराजी संख्या 3469/91 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार का कब्जा नहीं होकर राजस्व नक्शा में अन्यत्र जगह दर्शा रखी है। आराजी संख्या 42, 43 किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर अन्य खातेदार नाथू पिता खेमा रावत के नाम एवं शेष भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई है जिससे खातेदार के नाम दर्ज पूर्व रकबा एवं वर्तमान रकबा में कमी हो गई। उक्त भूमि रिकर्ड अनुसार मूल राजस्व ग्राम आकोला से नवीन राजस्व ग्राम सुकड़िया बनने से हाल आराजी संख्या 10, 42, 43, 45, 46 ग्राम सुकड़िया में एवं आराजी संख्या 3469/91, 88, 86, 3484/86 मूल ग्राम आकोला में अंकित हो गये।

III. अतः तहसीलदार कानोड़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आकोला की आराजी संख्या 3469/91 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि को खातेदार कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहू तेली के बजाय बिलानाम सरकार तथा बिलानाम आराजी संख्या 86 रकबा 3.55 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 88 रकबा 9.3500 हैक्टेयर में से 0.6200 हैक्टेयर कुल 4.1700 हैक्टेयर भूमि कमलेशकुमार पिता भगवानलाल साहु तेली सा. भीण्डर के नाम तथा ग्राम सुकड़ीया की आराजी संख्या 42, 43 किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि को खातेदार नाथू पिता खेमा रावत के बजाय कमलेशकुमार पिता भगवानलाल साहु तेली सा. भीण्डर के नाम एवं बिलानाम आराजी संख्या संख्या 10 रकबा 3.2400 हैक्टेयर में से 1.3700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 46 रकबा 2.8000 हैक्टेयर में से 0.6000 हैक्टेयर कुल 1.9700 हैक्टेयर भूमि कमलेश कुमार पिता भगवानलाल [illegible] सा. भीण्डर के नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। [illegible] भू–प्रबन्धन का पूर्व का दस्तावेज एवं वर्तमान दस्तावेज के साथ [illegible] एवं नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड खातेदारी भूमि जिसको [illegible]न्धन विभाग द्वारा त्रुटि की गई थी जिसको सहीं करने की अनुशंषा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:22 IST
Reason: SelfAttested

2. हमने पत्रावली अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो जिसमें भू–प्रबन्धन से पूर्व की जमाबन्दी संवत् 2051–54 एवं नवीन जमाबन्दी संवत् 2078–81 एवं माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल. आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

एवं पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी श्री कमलेश कुमार साहु निवासी भीण्डर द्वारा मौजा आकोला, पटवार हल्का आकोला की जमाबन्दी संवत् 2051–54 में खाता संख्या 182 पर साबिक आराजी संख्या 10 / 1 रकबा 10–10 बीघा ,आराजी संख्या 22 / 1 रकबा 10–15 बीघा कुल किता 2 रकबा 21–05 बीघा भूमि नाथू पिता खेमा रावत के वारिसानों से नामान्तरण संख्या 821 दिनांक 05.09.2012 द्वारा जरिये बिकाव से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुई अर्थात यह कुल रकबा 4.5900 हैक्टेयर है।

3. भू–प्रबन्धन के पूर्व मौजा आकोला, पटवार हल्का आकोला की जमाबन्दी संवत् 2051–54 में खाता संख्या 187 पर आराजी संख्या 23 / 1 रकबा 7–00 बीघा यानि 1.5100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी द्वारा नाथू पिता खेमा रावत के वारिसानों से जरिये बिकाव द्वारा राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 855 दिनांक 05.01.2013 द्वारा अमल दरामद हुई एवं खाता संख्या 300 के आराजी संख्या 22 रकबा 6–04 बीघा यानि 1.3400 हैक्टेयर भूमि हिरा पिता खेमा रावत के नाम दर्ज रेकर्ड थी जिसको प्रार्थी ने जरिये बिकाव नामान्तरण संख्या 854 दिनांक 05.01.2013 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुई। उक्त तीनो खातो की कुल भूमि 34–09 बीघा यानि 7.4400 हेक्टेयर भूमि खातेदार कमलेशकुमार पिता भगवानलाल साहु तेली सा. भीण्डर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं ये भूमि आपस में सटी हुई है जिसका नक्शा पत्रावली में संलग्न है।

4. उक्त भूमि भू–प्रबन्धन के बाद साबिक आराजी संख्या 22 / 1, 10 / 1, 23 / 1 एवं 22 के हाल नये आराजी संख्या 42, 43, 45, 10, 46, 3469 / 91, 88, 86, 3484 / 86 बने है। नवीन राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 पर आराजी संख्या 3469 / 91 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 22 पर आराजी संख्या 3484 / 86 रकबा 1.0000 हैक्टेयर भूमि उपरोक्तानुसार खातेदार के नाम दर्ज हुई जिसमें आराजी संख्या 3469 / 91 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार का कब्जा नहीं होकर राजस्व नक्शा में अन्यत्र जगह दर्शा रखी है। आराजी संख्या 42, 43 किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि पूर्व खातेदार नाथू पिता खेमा रावत के नाम हि राजस्व रेकर्ड में दर्ज रह गई जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को जरिये पंजिकृत बिकाव द्वारा क्रय की गई जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद भी हो गया था एवं प्रार्थी के नाम की शेष भूमि वर्तमान में भू–प्रबंधन विभाग द्वारा बिलानाम दर्ज कर दी गई जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया और राजस्व रेकर्ड में भी अमल दरामद हो गया था। अतः प्रार्थी की भू–प्रबन्धन से पूर्व राजस्व रेकर्ड में कुल भूमि 34–09 बीघा अर्थात 7.4400 हैक्टेयर भूमि पुनः जहां खातेदार का कब्जा एवं भू–प्रबन्धन के पूर्व नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना [illegible] तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः राजस्व ग्राम आकोला, पटवार मण्डल आकोला तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 की आराजी संख्या 3469 / 91 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहु के नाम दर्ज रेकर्ड है जहां प्रार्थी का न तो कब्जा है एवं न ही भू–प्रबन्धन के पूर्व की तरमीम है अतः भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा प्रार्थी के नाम दी गई उक्त खातेदारी भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं राजस्व ग्राम आकोला, पटवार मण्डल आकोला तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 86 रकबा 3.5500 हैक्टेयर भूमि बिलानाम काबिल काश्त है जिसके

उपखण्ड

भू–प्रबधंन के पूर्व नम्बर 22 व 23 मीन था जो पूर्व में कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहु के नाम दर्ज था जो कि वर्तमान में बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जहां पर प्रार्थी का कब्जा है एवं भू–प्रबंधन के पूर्व के नम्बर 22 व 23 जो प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होकर पुख्ता तरमीम थी जिसको पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है

6. आराजी संख्या 88 रकबा 9.3500 हैक्टेयर जो वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त है जिसका भू–प्रबन्धन का पूर्व नम्बर 22 मीन था अतः प्रार्थी के नाम पूर्व में दर्ज रेकर्ड एवं पूर्व में नक्शे तरमीम, कब्जे अनुसार आराजी संख्या 88 रकबा 9.3500 हैक्टेयर में से 0.6200 हैक्टेयर भूमि कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहु के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है

7. **मौजा सुकड़िया, पटवार मण्डल आकोला जो भू–प्रबन्धन से पूर्व मौजा आकोला का ही भाग था वर्तमान में आकोला राजस्व ग्राम से नया राजस्व ग्राम सुकड़िया सृजित होने के कारण वर्तमान में वह भूमि राजस्व ग्राम सुकड़िया में है जिसकी** जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 27 की आराजी संख्या 42 रकबा 0.0800 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 43 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि नाथू पुत्र खेमा जाति रावत के नाम दर्ज है जिसको प्रार्थी द्वारा वर्तमान खातेदार नाथू पिता खेमा रावत से जरिये बिकाव द्वारा क्रय किया गया जिसका जमाबन्दी संवत् 2051–54 के नामान्तरण संख्या 821 दिनांक 05.09.2012 द्वारा राजस्व रेकर्ड में कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहू तेली के नाम दर्ज हुआ जिसको भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा पुनः पुर्व खातेदार नाथू पिता खेमा रावत के ही नाम दर्ज कर दिया गया जिसको पुनः प्रार्थी श्री कमलेश कुमार पिता भगवान लाल साहु/तेली का कब्जा एवं भू–प्रबन्धन से पूर्व कि तरमीम अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मौजा सुकड़िया, पटवार मण्डल आकोला जो भू–प्रबन्धन से पूर्व मौजा आकोला का ही भाग था वर्तमान में आकोला राजस्व ग्राम से नया राजस्व ग्राम सुकड़िया सृजित होने के कारण वर्तमान में वह भूमि राजस्व ग्राम सुकड़िया में है जिसकी जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 10 रकबा 3.2400 हैक्टेयर जो वर्तमान में जो बिलानाम काबिल काश्त है जिसका भू–प्रबन्धन से पूर्व आराजी नम्बर 10/1 था जो प्रार्थी श्री कमलेश कुमार साहु के नाम दर्ज था एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं पुख्ता तरमीम थी जिसको भू–प्रबन्धन विभाग ने बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जिसकों पुनः आराजी संख्या 10 रकबा 3.2400 हैक्टेयर में से 1.3700 हैक्टेयर भूमि जहां प्रार्थी का कब्जा है जिसको प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है इसी प्रकार आराजी संख्या 46 रकबा 2.3500 हैक्टेयर बिलानाम काबिल काश्त है जो भू–प्रबन्धन से पूर्व साबिक नम्बर 10/1 का भाग होकर प्रार्थी के कब्जे एवं पूर्व तरमीम अनुसार कुल रकबा 2.3500 हैक्टेयर भूमि में से 0.60 हैक्टेयर भूमि कमलेश कुमार पिता भगवान लाल साहू तेली सा. भीण्डर के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त सभी प्रस्तावित रकबा, नक्शा जो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं पूर्व नक्शे के अनुसार मिलान किया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शा सहीं प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी के नाम भू–प्रबन्धन से पूर्व कुल भूमि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी 34–09 बीघा (7.4400 हैक्टेयर) भूमि जो वर्तमान में पुनः प्रस्तावित भूमि जिसका रकबा पूर्व के समान 7.4400 हैक्टेयर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:22 IST
Reason: SelfAttested

GCMS संख्या 2022/55
प्रकरण संख्या 27/22
कमलेश कुमार साहु बनाम तहसीलदार कानोड

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित खाता, खसरा, नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

i. राजस्व ग्राम आकोला, पटवार मण्डल आकोला तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 की आराजी संख्या 3469/91 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहु के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसे बिलानाम दर्ज किया जाता है।

ii. राजस्व ग्राम आकोला, पटवार मण्डल आकोला तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 86 रकबा 3.5500 हैक्टेयर भूमि बिलानाम काबिल काश्त है जिसके बजाय कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहु के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

iii. आराजी संख्या 88 रकबा 9.3500 हैक्टेयर बिलानाम काबिल काश्त में से 0.6200 हैक्टेयर भूमि कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहु के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

iv. मौजा सुकड़िया, पटवार मण्डल आकोला की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 27 की आराजी संख्या 42 रकबा 0.0800 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 43 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि नाथू पुत्र खेमा जाति रावत के नाम दर्ज है जिसके बजाय कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहू तेली के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

v. मौजा सुकड़िया, पटवार मण्डल आकोला की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 10 रकबा 3.2400 हैक्टेयर बिलानाम काबिल काश्त में से 1.3700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 46 रकबा 2.3500 हैक्टेयर बिलानाम काबिल काश्त भूमि में से 0.6000 हैक्टेयर भूमि कमलेश कुमार पिता भगवानलाल साहू तेली सा. भीण्डर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:22 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित सभी राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार कानोड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त भूमि में भू–प्रबन्धन से पूर्व अनुसार रहन दर्ज करते हुये राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर